

पर्वी डिक्री

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 291 / 2025

अनवान : -

राजेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी कंहरवाला त० राणिया जिला
सिरसा हाल निवासी चक 10 सीडीआर बी नाईवाला त० टिब्बी व जिला
हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1 विनोद कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी कंहरवाला त० राणिया जिला
सिरसा हाल निवासी चक 10 सीडीआर बी नाईवाला त० टिब्बी व जिला
हनुमानगढ़। प्रतिवादी

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता
वादी श्री रोहिताश चाहर एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री अरविन्द नेण की उपस्थिति में प्रस्तुत
होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 10 सीडीआर बी के
खाता सं० 116 / 35 के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के प०न० 221 / 255 मु० 8
किलानं० 1,10,11,2,21 व प०न० 221 / 256 मु० 14 किलानं० 1 कुल 1480 है० प्रतिवादी
सं० 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है मैं से प०न० 221 / 255 मु० 8 किलानं० 20, 21, व
प०न० 221 / 256 मु० 14 किलानं० 1/1/0.228 है०, 1/2/0.025 है० गै०मु०खाला कुल 0.
759 है० का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार प्रतिवादी के
हिस्सा से उपरोक्त रकबा कम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का
स्थगन आदेश न हो एवं बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद उपरोक्तानुसार राजस्व
रिकोर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

पर्वी डिक्री आज दिनांक 31/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा
से जारी की गई।

(सत्यनारायण)

उपखण्ड अधिकारी एवं R.A.S
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
(राजस्व)